... है अतः पूर्व आदेशानुसार

२१/९/२५ वादी एवं वकील वादी उप. नहीं। बार-बार आवाज दिलायी गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रा० दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)